4-2000-10 लाख फा.

FORM No. III

APP
Crll

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत कलेक्टर

मुकाम बांदीकुई

मुकनसिंह वगैरह बनाम छोटेलाल वगैरह

किस्म मुकदमा ना.ज. नं० 140/2023 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वास्ते आदेश पत्रावली दि० 7/3/24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	
7/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वास्ते आदेश पत्रावली दि० 11-3-2024 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	
11/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण पेश किया कि भूमि खाता सं. नया-22 पुराना-24 के काश्तकारी खसरा नंबर 20/779, 88 कुल किता-02 कुल रकबा 1.06 हैक्ट. ग्राम चोरवाडा तह. बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है। उपरोक्त वर्णित भूमि का वर्तमान जमाबन्दी में अप्रार्थीगण सं. 1 लगा० 3 के नाम इन्द्राज हो रहा है किन्तु उक्त भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से पूर्व से प्रार्थीगण एवं वादपत्र के प्रतिवादी सं. 4 लगा० 9 के पूर्वज प्रभुसिंह एवं देवीसिंह का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। अप्रार्थीगण सं. 1 लगा० 3 व उनके पूर्वज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से पूर्व से ही भूमि [signature]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जारी

भुवानासिंह वगै. बनाम छोटेलाल वगै.

T.I. 170/23

मुतदाविया पर काबिज काश्त नहीं है ना ही ग्राम चोरबाडा मे निवास करते हैं, उपरोक्त वर्णित भूमि मे अप्रार्थीगण सं. 1 लगा० 3 के नाम गलत इन्द्राज की आड मे अप्रार्थीगण भूमि मुतदाविया से जबरन बेदखल कर स्वयं नाजायज कब्जा करने व भूमि मुतदाविया को किसी दीगर शख्स को बेचान करने पर आमादा हैं, जिन्हे पाबंद किया जावे। तदनुपरान्त प्रार्थीगण वकील को एकपक्षीय सुना जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी।

अप्रार्थीगण सं. 1 लगा० 3 की ओर से उनके वकील जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि वाद-ग्रस्त भूमि से प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है, अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार हैं, एवं मौके पर काबिज काश्त है, एवं भूमि मे किसान क्रेडिट-कार्ड भी जारी हुआ है, अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के नाम खातेदारी सही दर्ज है, अप्रार्थीगण 3 का नाम दर्ज नही है, भंवरसिंह एवं देवीसिंह का अप्रार्थीगण की भूमि पर कभी भी कोई कब्जा काश्त नही रहा है, अप्रार्थीगण एवं इनके पूर्वज उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, प्रार्थीगण किसी भी प्रकार अप्रार्थीगण को पाबन्द कराने के अधिकारी नही है, अत: जवाब अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

हमने प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण वकील बहस सुनी, बहस मे प्रार्थीगण वकील एवं अप्रार्थीगण वकील द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा एवं जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान किया गया। हमने पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। राजस्व जमाबंदी संवत - 2074-77 ग्राम -

2445

गुमानसिंह वगै. बनाम छोटेलाल वगै.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज T.I. 140/23	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

चोरवाड़ा खाता सं. नया-22 पुराना 25 के अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार हैं। अतः उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने, एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व जवाबप्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली के संलग्न राजस्व जमाबंदी के अवलोकन के आधार पर प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज खातेदारान के विरुद्ध निराधार तथ्य प्रार्थना पत्र मे वर्णित कर अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा चाही की है। तद्नुसार प्राईमा-फेसाई केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त अप्रार्थीगण के पक्ष मे होना साबित है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थीगण प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण बाबत ग्राम-चोरवाड़ा तह. बांदीकुई जिला-दौसा स्थित भूमि खाता सं. नया-22 पुराना-25 के आराजी खसरा नंबर 20/779 एवं खसरा नं. 88 कुल किता-02 कुल रकबा 1.06 हैक्ट. पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। तथा प्रकरण मे जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 19.10.2023 वेकेट किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील हस्ब मिसल मुलवाड रहे।

निर्णय सुनाया गया।

[signature] 11/3/24

छमीसिंह राजावत
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई